डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2024/4342 दिनांकः12 नवम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः "उत्तर प्रदेश एम0 सैण्ड (Manufactured Sand) नीति–2024" के लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः ।/781242/2024/16–3099/270/2024 दिनांक 25.10.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र में उल्लिखित भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र संख्या–।/770528/2024 दिनांक 16.10.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने हेतु बालू के विकल्प के रूप में एम0 सैण्ड (Manufactured Sand) उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त लागू नीति को प्रख्यापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश एम0 सैण्ड (Manufactured Sand) नीति–2024" के प्रख्यापन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः स्टाफ आफिसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या- I/781242/2024 / 16-3099/270/2024

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 , उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू० टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ.प्र., कानपुर।
5. सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
8. निदेशक, कमला नेहरु प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज उ.प्र.
10. सचिव, प्रवेश एवं फीस विनियम समिति, लखनऊ |
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उ०प्र० कानपुर।

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3</u> **<u>लखनऊ दिनांक-25-10-2024</u>**

विषय: "उत्तर प्रदेश एम० सैण्ड(Manufactured Sand) नीति-2024" के लागू किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र संख्या-I/770528/2024 दिनांक: 16.10.2024(प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने हेतु बालू के विकल्प के रूप में एम० सैण्ड(Manufactured Sand) उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त लागू नीति को प्रख्यापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है |

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "उत्तर प्रदेश एम० सैण्ड(Manufactured Sand) नीति-2024" के प्रख्यापन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें |

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 25-10-2024 18:22:45

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

संख्या- I/781242/2024 / 16-3099/270/2024

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 , उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू० टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ.प्र., कानपुर।
5. सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
8. निदेशक, कमला नेहरु प्रोद्योगिकी संस्थान, झांसी |
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज उ.प्र.
10. सचिव, प्रवेश एवं फीस विनियम समिति, लखनऊ |
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उ०प्र० कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक-25-10-2024**

विषय: "उत्तर प्रदेश एम० सैण्ड(Manufactured Sand) नीति-2024" के लागू किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र संख्या-I/770528/2024 दिनांक: 16.10.2024(प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने हेतु बालू के विकल्प के रूप में एम० सैण्ड(Manufactured Sand) उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त लागू नीति को प्रख्यापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है |

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "उत्तर प्रदेश एम० सैण्ड(Manufactured Sand) नीति-2024" के प्रख्यापन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें |

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 25-10-2024 18:22:45

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

/सोलह-3-2024

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति देने हेतु नदी तल में पाये जाने वाले बालू के विकल्प के रूप में एम सैण्ड (Manufactured Sand) अर्थात् कृत्रिम बालू के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु श्री राज्यपाल द्वारा "उत्तर प्रदेश एम सैण्ड नीति-2024" (प्रति संलग्न) को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. "उत्तर प्रदेश एम सैण्ड नीति-2024" इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

संख्या...1284...प्रमुख सचिव/प्रा०शि०/व्या०शि०कौ०वि०/2024

VS(AA/D)

Signed by
Anil Kumar
Date: 15-10-2024 17:22:26
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

22/10/24

(प्रवीण कुमार मिश्रा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास
और उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 (क्रमांक-6, 7, 8 के अतिरिक्त) ।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय/समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0)।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Signed by
Arun Kumar
Date: 16-10-2024 10:40:06
(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

664/VS(A)/T/24

24.10.24
(अजीज अहमद)
विशेष सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन ।

SO-3
23/X/24

23/10/2024

उत्तर प्रदेश एम सैण्ड नीति,2024

(1). प्रस्तावना (Introduction) :-

उत्तर प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास व निर्माण कार्यों को गति देने हेतु बालू/मोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में बालू उपखनिज मुख्यतः नदी तल में पाया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत National Sand Mining Framework, 2018 के अनुसार प्रदेश में बालू की मांग 45 मिलियन मेट्रिक टन और आपूर्ति 5.9 मिलियन मेट्रिक टन उल्लिखित है। इस प्रकार बालू की मांग और आपूर्ति में 39.1 मिलियन मेट्रिक टन का अन्तर है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में बालू का कुल उत्पादन 3.1 करोड़ घन मी. हुआ है। प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था व विकास की तेज गति के दृष्टिगत बालू की मांग और आपूर्ति के अन्तर की पूर्ति हेतु एम सैण्ड को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

प्रदेश में एम सैण्ड को बढ़ावा देने से निम्नलिखित उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है:-

(1) पर्यावरण एवं नदियों के Ecosystem को बिना नुकसान पहुंचाए Sustainable विकास किया जाना।

(2) नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू की सीमित मात्रा और इसकी बढ़ती मांग के दृष्टिगत एम सैण्ड को नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना।

(3) उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर के अंतर्गत एम सैण्ड यूनिट स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार के अवसरों व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

प्रदेश में एम सैण्ड (Manufactured Sand) के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 748/ 86-2022-03(सा०)/2021, दिनांक 20.06.2022 द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु बालू/मोरम की उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखने की आवश्यकता व नदियों में बालू/मोरम की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एम सैण्ड के उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पट्टाधारकों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

(2). एम-सैण्ड की परिभाषा (Definition of M-Sand) :-

शासनादेश सं0 748/86-2022-03(सा०)/2021, दिनांक 20.06.2022 के अनुसार "एम सैण्ड का तात्पर्य कृत्रिम बालू से है जो स्वस्थाने चट्टान/ओवरबर्डन को पीस कर उत्पादित किया जाता है।"

National Sand Mining Framework, 2018 व Indian Standards IS: 383-2016-Coarse and fine aggregate for concrete के अन्तर्गत क्रश्ड स्टोन को एम सैण्ड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अतएव एम सैण्ड की परिभाषा को और स्पष्ट करते हुए एम सैण्ड को National Sand Mining Framework, 2018 व Indian Standards IS:383:2016-Coarse and fine aggregate for concrete के अन्तर्गत crushed stone के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यह कृत्रिम बालू है जिसे कड़ी चट्टानों यथा सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या अन्य इमारती पत्थरों से विभिन्न चरणों में क्रशिंग, स्क्रीनिंग व वाशिंग कर उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सामान्य क्रशिंग की प्रक्रिया से उत्पादित स्टोन डस्ट एम सैण्ड के रूप में मान्य नहीं है।

एम सैण्ड विनिर्माण की प्रक्रिया (as per National Sand Mining Framework, 2018)- Stone Quarry → Jaw Crusher → Cone Crusher → Vertical Shaft Impactor → Screening → Manufactured Sand

(3). एम सैण्ड के लाभ (Benefits of M-Sand) :-

National Sand Mining Framework, 2018 एवं Bureau of Indian Standards (IS:383-2016) के अनुसार एम सैण्ड की रासायनिक विशिष्टताएं एवं Strength नदी से प्राप्त बालू के समान होती हैं एवं इसका अनुप्रयोग भी समान प्रकार से किया जा सकता है ।

नदी से प्राप्त बालू में मिट्टी व सिल्ट की मात्रा लगभग 0.45% होती है जबकि एम-सैण्ड में यह लगभग 0.2% है। नदी से प्राप्त बालू में Water Absorption 1.15% होता है जबकि एम सैण्ड में यह लगभग 1.6% है। एम सैण्ड से बने कंक्रीट में Bond Strength भी marginally अधिक होती है। नदी से प्राप्त बालू की तुलना में एम सैण्ड से बने मोर्टार में Compressive Strength भी higher होती है ।

(4). एम सैण्ड के उत्पादन हेतु कच्चे माल के स्रोत (Sources of Raw Material for manufacturing of M-Sand) :-

प्रदेश में इमारती पत्थर यथा सैण्ड स्टोन, डोलोस्टोन/ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आयामी पत्थर, क्वार्टजाइट एवं अन्य उपयुक्त उपखनिज के क्षेत्रों में-

- खनन संक्रिया के दौरान निर्गत रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन।
- उपखनिज (पत्थर)।

(5). एम सैण्ड निर्माण इकाइयों की स्थापना (Establishment of M-Sand Manufacturing Units) :-

एम सैण्ड निर्माण इकाइयां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार स्थापित की जा सकती है :-

1. एम सैण्ड निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु सभी विद्यमान एवं नये एम सैण्ड उत्पादकों को अपना पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर करना होगा। पंजीकरण के साथ रू0 1,00,000/- प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। सभी एम-सैण्ड उत्पादन इकाइयों को उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडार का निवारण) नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) के अधीन भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।
2. एम सैण्ड उत्पादन इकाइयों को भारत सरकार व राज्य सरकार के लागू समस्त प्रासंगिक आदेशों, नियमों, श्रमिकों तथा मशीनरी व उपकरणों से सम्बन्धित सुरक्षा विनियमों आदि का पालन करना होगा।
3. सभी उत्पादन इकाइयों को खनन की शून्य अपशिष्ट एवं जल व वायु उपचार की अवधारणा का पालन करना होगा।

(6). एम-सैण्ड इकाइयों को प्रोत्साहन. (Incentivizing the M-Sand Unit) :-

एम-सैण्ड उत्पादन इकाइयां जिनके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक, संगत अधिनियमों/नियमों का पालन करते हुये एम0 सैण्ड का उत्पादन किया जा रहा हो, को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022 /उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत नियमानुसार औद्योगिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

एम सैण्ड इकाई को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

(7). एम- सैण्ड का परिवहन (Transportation of M-Sand) :-

कच्चे माल एवं उत्पादित एम-सैण्ड के परिवहन की व्यवस्था निम्नवत् होगी-

• उत्पादन संयंत्र तक रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का परिवहन ई-प्रपत्र सी (e-Form C) के माध्यम से किया जाएगा।

• खनन क्षेत्रों से उत्पादन संयंत्र तक उपखनिज (पत्थर) का परिवहन ई-एम एम 11 (e-MM11) के माध्यम से किया जाएगा।

• एम-सैण्ड इकाइयों से एम सैण्ड का परिवहन ई-प्रपत्र सी एम (e-Form C- M) के माध्यम से किया जाएगा।

• एम सैण्ड के परिवहन के समय प्रत्येक ई-प्रपत्र सी एम (e-FormC-M) के साथ dispatch lot का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक होगा।

(8). गुणवत्ता मानक और नियंत्रण उपाय (Quality Standards and Control Measures) :-

एम सैण्ड के गुणवत्ता मानकों को बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा शामिल है। उ0प्र0 सरकार गुणवत्तापूर्ण और लागत प्रभावी निर्माण एवं विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

अतएव :-

• सभी एम सैण्ड निर्माताओं को अपने उत्पाद के लिये बी०आई०एस० प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

• एम सैण्ड निर्माता को गुणवत्ता की जांच हेतु अपने परिसर में एक प्रयोगशाला स्थापित करना अनिवार्य होगा। उत्पादनकर्ता सप्ताह में कम से कम दो बार उत्पादित एम सैण्ड के नमूनों के गुणवत्ता की जांच करेगा व उक्त परिणामों को अभिलिखित करते हुये निर्दिष्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेगा।

• 03 माह में एक बार एम सैण्ड निर्माताओं द्वारा NABL द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला /भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की प्रयोगशाला/ राज्य द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला से गुणवत्ता परीक्षण कराया जायेगा एवं उसकी रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित जिला खान अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रैमासिक निरीक्षण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एम सैण्ड की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु नामित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को उपलब्ध कराएगा।

पंजीकरण से 02 वर्ष की अवधि के अन्दर एम सैण्ड का उत्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में एम सैण्ड का उत्पादक नहीं किया जाता है तो आवेदक को प्राप्त प्रोत्साहन (Incentives) वापस लिए जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। उपरोक्त या विद्यमान किन्हीं अन्य प्राविधानों के अधीन यदि इकाई को प्राप्त प्रोत्साहन वापस लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो वापस ली जाने वाली धनराशि में से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को सम्बन्धित धनराशि वापस की जायेगी। एम सैण्ड उत्पादक द्वारा गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने, निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने अथवा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी व विभागीय पोर्टल पर किया गया पंजीकरण व निर्गत भण्डारण लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

(9). एम सैण्ड इकाइयों की स्थापना हेतु सुसंगत प्राविधानों/नियमों आदि का अनुपालन:-

समस्त एम सैण्ड इकाइयों को भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन व खनन से सम्बन्धित निर्गत सुसंगत अधिनियमों, अधिसूचनाओं / नियमों/ आदेशों/ निर्देशों/ दिशा-निर्देशों, मा0 न्यायालय/ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का पालन करना होगा।

(10) नोडल विभाग (Nodal Department) :-

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 एम सैण्ड हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा जिसके अधीन भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ में एम सैण्ड सेल बनाया जायेगा। एम सैण्ड सेल द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाएगा:-

- एम सैण्ड इकाइयों को कच्चे माल के स्रोत उपलब्ध कराने हेतु जनपद के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- एम सैण्ड के शीघ्र उत्पादन हेतु राज्य/जिला स्तर पर अनुज्ञप्तिधारकों और हितधारकों से समन्वय स्थापित करना।
- संचालित एम सैण्ड इकाइयों द्वारा सभी आवश्यक मानकों, शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के संबंध में अनुश्रवण करना।
- एम-सैण्ड के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना एवं निर्माण एजेन्सियों (construction agencies) द्वारा एम सैण्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाएँ आयोजित कराना।

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव,
श्रम एवं सेवायोजन,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन।